

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2072 वर्ष 2026**

हुसैन अली

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : निशांत श्रीवास्तव, विवेक कुमार सिंह

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. श्री अग्रेश कुमार अधिवक्ता ने विरोधी पक्षकार पक्ष संख्या 2 की ओर से वकालतनामा/अभिभाषक पत्र दाखिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और इसे अभिलेख पर ले लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 विद्वान अधिवक्ता श्री अग्रेश कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. प्रस्तुत आवेदन पुलिस थाना- महिला थाना, जिला- गोंडा में सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्रथम, गोंडा के समक्ष मुकदमा अपराध संख्या 55 वर्ष 2022 के अंतर्गत धारा 498ए, 323, भारतीय दण्ड संहिता और 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दाखिल किये गए आरोप पत्र संख्या 1 दिनांक 10.09.2022 सहित संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए तथा साथ ही दिनांक 10.11.2022 के आक्षेपित संज्ञान और समन आदेश को रद्द करने हेतु दाखिल किया गया है।

4. आवेदक की ओर से उपसंजात हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि किसी भ्रम के चलते आवेदक के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और उसके पश्चात दोनों पक्ष ने आपसी सहमति से अपने विवाद को सुलझा लिया है। समझौता-पत्र 21.02.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे इस आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि अब दोनों पक्षों के मध्य एक-दूसरे को लेकर कोई शिकायत नहीं है, आवेदक के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही एक व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि अभियोग का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह कार्यवाही आवेदक को परेशान करने जैसी है, इसलिए आवेदक के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर विपक्षी की ओर से उपसंजात हुए विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षों ने एक समझौता-पत्र के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, अब विरोधी पक्षकार पक्षों को वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध कोई और शिकायत नहीं है, और आवेदकों के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त कथनों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब पक्षों ने वास्तव में प्रकरण में समझौता किया है या नहीं इसका पता उचित प्रकार से अवर न्यायालय ही लगा सकती है, क्योंकि ऐसे समझौते का संबंधित पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार इस आवेदन का निस्तारण संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि यदि उसके समक्ष कोई ऐसा समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगा, जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, और उसके पश्चात वह समझौते का सत्यापन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का हिस्सा बना दिया जाएगा।

9. ऐसी स्थिति में न्यायालय पक्षों को रिपोर्ट के साथ-साथ समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा, और आवेदकगण इसके लिए स्वतंत्र रहेंगे कि वे कार्यवाही को रद्द करवाने हेतु पुनः इस न्यायालय का रुख करें।

10. तीन महीने की अवधि हेतु पुलिस स्टेशन- महिला थाना, जिला- गोंडा में सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, गोंडा के समक्ष मुकदमा अपराध संख्या 55 वर्ष 2022 के अंतर्गत धारा 498ए, 323, भारतीय दण्ड संहिता और 3 / 4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दाखिल आरोप-पत्र संख्या 1 दिनांक 10.09.2022 के अनुसरण में प्रारम्भ की गई कार्यवाही तथा दिनांक 10.11.2022 का आक्षेपित संज्ञान और समन आदेश आवेदक के संबंध में स्थगित रहेंगे।

11. विचारण न्यायालय को यह जांचने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में शामिल पक्ष हैं, और इस संबंध में वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को मूल समझौता-पत्र (यदि कोई हो) की प्रतिलिपि लेने के पश्चात् उसे वापस कर दे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

24 मार्च 2026

V.sinha

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।